856
11/2/13

खण्ड : 14 संख्या : 15

दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(चर्तुदश सत्र)

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
शोध/संदर्भ ग्रंथ

सत्यमेव जयते

मंगलवार, तिथि 19 जुलाई, 1994 ई०

अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस राज्य में पत्रकार के साथ जो घटना घटी है उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में उसकी रिपोर्ट आपके सामने पेश किया है और अखबार वालों के साथ जो घटना घटी है–डी० एस० पी० और एस० डी० ओ० को आपके आदेश के अनुसार उनको वहां से हटाकर लाईन में हाजिर कराया गया है, यह महोदय, आपके सामने में हमलोग बतलाना चाहते हैं।

अध्यक्ष : श्री सरवर अली ने जो रिकोमेन्ड किया है, उसको सरकार लागू करे।

श्री रघुनाथ झा : श्री सरवर अली जो अनुशंसा की है सरकार उसको अमल करेगी, इतना मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, भावी योजनायें जो हमारी हैं, उसके तहत बिहार में एक पुलिसकर्मी पर अभी कुल 34,904 रुपया खर्च आता है जबकि यह खर्च गुजरात में 37,960 रुपया, पंजाब में 39,450 रुपया, त्रिपुरा में 40,052 रुपया एवं हिमाचल प्रदेश में 47,680 रुपया खर्च आता है। बिहार में 1080 व्यक्तियों पर एक आरक्षी बल कार्यरत है। जबकि अन्य राज्यों में यह अनुपात कहीं बेहतर है। राज्य में कुल 1156 थाना और 338 ओ० पी० है। इस प्रकार 86,338 व्यक्तियों की आबादी पर एक अधिसूचित थाना क्षेत्र पड़ता है। कुल 1156 थाना के विरूद्ध कुल 683 थाने में गाड़िया उपलब्ध है। मात्र 1109 थाना, 104 ओ० पी०, 21 पीकेट एवं 140 वरीय पदाधिकारियों के प्रतिष्ठानों एवं गाड़ियों में ही वितन्तु सीट उपलब्ध है और वह भी पुराना सीटें हैं। उग्रवादी, आतंकवादी एवं अपराधकर्मी द्वारा इसतेमाल किये जा रहे नये तरीके और आधुनिकीकरण की नितान्त आवश्यकता है। उस हेतु भी आधुनिकीकरण की योजना एवं पुलिस बल में कल्याणकारी योजना का लक्ष्य सरकार के सामने है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपसे प्रारम्भ में ही कहा और माननीय सदस्या श्रीमती वीणा देवी ने जो आंकड़ा पेश की और कुछ सवालों को उठाने का प्रयास की थी और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया था, इसलिए हमने वे आंकड़ा देना मुनासिब समझा, यदि अभी वे सदन में रहती तो उनके कटौती प्रस्ताव को वापस लेने का आग्रह करता,

लेकिन वे नहीं है। अध्यक्ष महोदय, तमाम जो रेस्ट पार्ट है, उसको प्रोसिडिंग्स का अंग बना दिया गया है।

अध्यक्ष : तमाम अंश को प्रोसिडिंग्स का पार्ट बना दिया गया।

बजट अभिभाषण

बढ़ती जनसंख्या एवं शहरीकरण की वृद्धि के अनुपात में पूर्व की सरकार द्वारा पुलिस बल में वृद्धि और उसे आधुनिक बनाने की दिशा में पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुयी थी। गत कुछ वर्षों में पुलिस बल में वृद्धि की गयी है और आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत पुलिस की कतिपय सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है जिससे विधि-व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक स्थिति में सुधार परिलक्षित है।

पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में प्रति एक लाख जनसंख्या पर यदि संज्ञेय अपराधों, प्रति आरक्षी पर खर्च एवं प्रति आरक्षी निगरानी को देखें तब स्पष्ट होगा कि मध्यप्रदेश में जहां एक लाख जनसंख्या पर 298 संज्ञेय अपराध होते हैं, उड़ीसा में 155 संज्ञेय अपराध होते हैं वहीं बिहार में मात्र 153 संज्ञेय अपराध प्रतिवेदित हुए हैं। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति का एक आरक्षी पर 33.67 रुपया व्यय होता है, मध्य प्रदेश में 33.07 और उड़ीसा में 29.74 रुपया होता है वहीं बिहार में मात्र 20.87 रुपया व्यय होता है। बिहार में 1045 नागरिकों पर एक आरक्षी है जबकि उड़ीसा में 885 व्यक्ति पर उत्तर प्रदेश में 807 व्यक्ति पर एवं मध्य प्रदेश में 719 व्यक्ति पर एक आरक्षी प्रतिनियुक्त है।

अपराध नियंत्रण

अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में वर्ष 1993 एवं 1994 के मई माह तक अन्य वर्षों की तुलना में काफी सराहनीय रही है। 1992 में कुल 1,36,763 संज्ञेय अपराध प्रतिवेदित हुए थे जबकि 1.193 में कुल 1,27,335 संज्ञेय अपराध प्रतिवेदित हुए। इसी प्रकार 1992 की तुलना में 1993 में संज्ञेय अपराधों की संख्या 6.9 की कमी आयी।

वर्ष 1993 के मई तक की अवधि में कुल 52,179 संज्ञेय अपराध प्रतिवेदित हुए जबकि 1993 के इसी अवधि में 53,479 कांड प्रतिवेदित हुए थे। इसी से यह भी परिलक्षित होता है कि जनवरी से मई के 5 महीनों की अवधि में अपराध में 2.4% की कमी आई है।

हत्या के मामला में 1992 के अपेक्षा 1992 के अपेक्षा 1993 में 2.4% की कमी आयी है जबकि डकैती के मामलों में 16.1% की कमी आयी है। 1994 जनवरी से मई 5 माह में भी 1993 की तुलना में 1994 में 7.4% की कमी आयी है। बैंक डकैती, लूट के मामलों में भी उल्लेखनीय कमी आयी है। अपहरण के मामलों में 1991 से 1992 की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है, परन्तु फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में 1993 में पिछले दो वर्षो की अपेक्षा 1.7 एवं .3% की कमी हुई है। वर्ष 1994 के मई माह तक फिरौती के लिए अपहरण के लिए 92 कांड प्रतिवेदित हुए जब 1993 में इसी अवधि में 130 कांड प्रतिवेदित हुए थे। इस प्रकार 1993 वर्ष की तुलना में 1993 में 29.2% मामलों में कमी आयी है।

अपराध नियंत्रण के लिए पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाये जा रहे हैं। अपराध अनुसंधान विभाग के पर्यवेक्षण में पटना, नालन्दा, बेगुसराय, जमुई तथा समस्तीपुर जिलों के टाल क्षेत्रों में विशेष कर फिरौती के लिए अपहरण के अपराध सक्रिय अपराधी गिरोहों के विरूद्ध गत मार्च–अप्रैल में अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान 149 अपराधकर्मी गिरफ्तार किये गये। 28 अपराधियों के विरूद्ध जब्ती–कुर्की की गयी, एक पुलिस रायफल एक 315 देशी पिस्तौल तथा 188 गोलियों के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में चोरी के वाहन भी बरामद किये गये।

पूरे राज्य के अपहरण करने वाले गिरोहों की पहचान करके उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों की सूची तैयार करके उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस जनता सहयोग समितियों का गठन किया गया है एवं न्यायालयों में विचाराधीन मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए लगातार मोनेटरिंग की जा रही है।

पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियानों के परिणामस्वरूप 1992 में 60,255 अपराधकर्मियों की गिरफतारी हुई थी जबकि 1993 में 70,514

अपराधकर्मी गिरफ्तार किये गये। पुलिस मुठभेड़ में 1992 में 93 अपराधकर्मी मारे गये थे वहीं 1993 में 103 अपराधकर्मी मारे गये। 1994 में अभी तक 56 अपराधकर्मी पुलिस मुठभेड़ में मारे गये है।

पुलिस को स्थानीय जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। जनता का मनोबल ऊंचा रहने के कारण 1993 में जनता के साथ कुल 13 मुठभेड़ हुए थे, जबकि 1994 में अबतक 12 मुठभेड़ हो चुके हैं । मुठभेड़ों के परिणामस्वरूप 1993 में 16 अपराधकर्मी मारे गये 1994 में 21 अपराधकर्मी मारे जा चुके हैं।

पुलिस और जनता के सहयोग से अपराधकर्मियों से 1992 में 2,412 आग्नेयास्त्र और 1994 के प्रथम 5 महीनों में 254 आग्नेयास्त्र बरामद किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी मात्रा में बम और गोलियां भी बरामद की गयी है। बन्दूक बनाने के 14 कारखानों का उद्भेदन हुआ है जबकि 1993 में 31 बन्दूक बनाने के कारखानों का उद्भेदन किया गया था।

समाज के कमजोर वर्ग के लोगों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव महिला अत्याचार के मामलों पर सरकार की कड़ी निगरानी है। इसके परिणामस्वरूप कमजोर वर्ग के लोगों के विरूद्ध सामूहिक हत्या में तो कमी आयी ही है इसके अलावा अन्य अपराधों में भी कमी आयी है। कमजोर वर्ग के लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ है।

राज्य में विधि-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए उग्रवादी संगठनों को प्रतिबंधित किया गया है। केन्द्रीय बिहार एवं छोटानागपुर के जिला में कड़ी निगरानी रखी जा रही है और लगातार अपराधकर्मियों पर कार्रवाई हो रही है । उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में चलाये गये अभियान के फलस्वरूप 225 नक्सली गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 4 पुलिस रायफल, 3 नियमित रायफल, 14 अनियमित बन्दूकें और काफी संख्या में आग्नेयास्त्र एवं कारतूस बरामद किये गये ।

एक ओर जहां उग्रवादी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है वहीं कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। पलामू जिला के 18 मामलों में समीक्षा करके 314

गरीब लोगों के ऊपर से टाडा हटा लिया गया है। इससे गरीब लोगों में सरकार और एवं पुलिस के प्रति आस्था बढ़ी है।

साम्प्रदायिक :

6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या की घटना के बाद से पूरे देश में एक साम्प्रदायिक संवेदनशीलता व्याप्त हुई थी। बिहार भी उसे बचा हुआ नहीं था परन्तु दृढ़ कुशल एवं सुस्पष्ट नेतृत्व दोनों सम्प्रदायों के बीच आपसी सौजन्य, सरकार की प्रति उनकी निष्ठा एवं विश्वास तथा प्रशासन की तत्परता, चुस्ती, गतिशीलता एवं सूझबूझ के कारण देश के अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्यों की स्थिति काफी नियंत्रित रही। इस राज्य में साम्प्रदायिक घटनाओं में मृतकों की कुल संख्या 51 थी, जबकि गुजरात में 285, महाराष्ट्र में 276, उत्तर प्रदेश में 194, मध्य प्रदेश में 138, आसाम में 91, कर्नाटक में 76 एवं राजस्थान में 54, बिहार में जो 51 मृतकों की संख्या है, उसमें 12 पुलिस फायरिंग में मारे गये व्यक्ति भी सम्मिलित है।

वर्ष 1994 में राज्य की साम्प्रदायिक स्थिति नियंत्रित रही और गम्भीर प्रकृति का कोई साम्प्रदायिक दंगा प्रतिवेदित नहीं हुआ ।

वर्ष 1993 में कुल 9 साम्प्रदायिक घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें से प्रायः सभी साधारण प्रकृति के थे।

वर्ष 1994 में अभी तक मात्र 3 साधारण प्रकृति की साम्प्रदायिक घटनाएं प्रतिवेदित हुई है और उनका स्वरूप बिल्कुल स्थानीय रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर स्थिति नियंत्रित कर ली गई है।

आधुनिकीकरण योजना

वर्तमान सरकार के शासनकाल में अपराध नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से पुलिस बल के आधुनिकीकरण की एक विस्तृत योजना तैयार की गई है और उस योजना के तहत अभी तक कुल 1,52,24,087.78 पैसा (एक करोड़, बावन लाख, चौबीस हजार, सत्तासी रुपया, अठहत्तर पैसा) का निम्नलिखित आधुनिक उपकरण क्रय किया गया है :

क्रमांक	उपकरण	क्रय किये गये बजट
1	2	3
1	भी०एच०एफ० प्लेट	685
2.	हैंड हेल्ड भी० एच० एफ० सेट	267
3.	भी० एच० एफ० रिपीटर	16
4.	एल० एच० पी० 219 एच० एफ० सेट	20
5.	100 वाट एच० एफ० सेट	06
6.	इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज	04
7.	पर्सनल कम्पयूटर	01
8.	प्रींटर	01
9.	इलेक्ट्रोनिक टाईपराईटर	02
10.	डाटा स्वीफ्ट	05
11.	सिगनल नेजरेटर	03
12.	फ्रीक्वेंसी काउंटर	01
13.	फैक्स मशीन	01

इसके अतिरिक्त भी 6,63,730 (छः लाख तीरसठ हजार सात सौ तीस) रुपये का 410 भी० एच० एफ० सेट, 97–हैंड हेल्ड सेट, 4–ई० पी० ए० वी० एक्स०, सिगनल जेनरेटर 3, फिक्वेंसी काउंटर–1, फैक्स मशीन–1, ए० सी० मिली वोल्ट मीटर–3 नीकेल कैडियम्र बैटरी–100 एवं निकेल कैडियम चार्जर–64 क्रय करने हेतु आदेश निर्गत किया जा चुका है, जिसकी शीघ्र ही आपूर्ति की जा रही है।

महोदय, पुलिस बल के जवानों एवं पदाधिकारियों के लिए गैर सरकारी राशि से उन्हीं से अंशदान प्राप्त कर कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जैसे :

1. पुलिस कल्याण एवं सहायक कोष–इससे गंभीर बीमारी के मामलों में पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

2. परोपकारी फण्ड : इस कोष से सेवाकाल में मृत पुलिसकर्मियों की विधवाओं को बीस साल तक 500/–(पांच सौ) रुपये प्रतिमाह की

दर से पेंशन दिया जाता है।

3. शिक्षा कोष : इससे पुलिस कर्मयों एवं पदाधिकारियों के एक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को वार्षिक छात्रवृति विभिन्न दरों से प्रदान की जाती है।

उपरोक्त तीनों मदों में दी गई सहायता का विवरण इसके साथ संलग्न किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जेनरल इंश्योरेंस कम्पनी के साथ राज्य के सभी पुलिसकर्मियों का अपने अंशदान के आधार पर सामुहिक दुर्घटना बीमा कराया गया है; जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु के फलस्वरूप आरक्षी से स० आ० नि० स्तर तक के पुलिसकर्मियों को एक लाख रुपया अवर निरीक्षक एवं निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को दो लाख रुपया, आरक्षी उपाधीक्षक एवं अपर आरक्षी अधीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को पांच लाख रुपया देने का प्रावधान है।

दुर्घटना में आंशिक या पूर्ण रूप से अपंग होने पर भी भुगतान का प्रावधान है। अभी तक इस मद में वर्ष 1992-93 में करीब पैंतीस लाख रुपया एवं वर्ष 1993-94 में अठाईस लाख रुपया का भुगतान किया जा चुका है।

खेल-कूद के क्षेत्र में उपलब्धि : बिहार पुलिस की खेल-कूद के क्षेत्र में उपलब्धियां अत्यंत ही सराहनीय रही है जिसका विवरण इसके साथ संलग्न किया जा रहा है। इसके अवलोकन से यह परिलक्षित होगा कि बिहार पुलिस के जवान और महिला आरक्षी तथा महिला पदाधिकारियों ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी पदक एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर राज्य का सम्मान बढ़ाया है।

आरक्षी विभाग की अन्य उपलब्धियां : वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में 210 साक्षर आरक्षियों को स० अ० नि० की कोटि में प्रोन्नति दी गई।

200 सहायक अवर निरीक्षकों को अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति दी गई तथा 1323 सहायक अवर निरीक्षकों को अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति देने की प्रक्रिया भी अन्तिम चरण में है।

114 हवलदारों को प्रारव अवर निरीक्षक (प्रा०) के पद पर पदोन्नति दी गई हैं इसके अतिरिक्त अगले कुछ दिनों के अन्दर ही अवर निरीक्षक से निरीक्षक कोटि में तथा अवर निरीक्षक (प्रशिक्षण) से आरक्षी निरीक्षक (प्रशि०) की कोटि में प्रोन्नति देने की कार्रवाई की जा रही है। 1825 अवर निरीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

श्री रघुनाथ झा : लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज लालू प्रसाद के हूकुमत में बिहार में अमन-चैन और शांति का माहौल बना है, यही कारण है कि कांग्रेस के लोग तमाम लोग रण छोड़कर भाग रहे है, अगर उनमें हिम्मत होती तो माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ सिंह ...

अध्यक्ष : ये दो आदमी बैठे हुये है।

श्री रघुनाथ झा :ये जो आदमी हैं, हमलोगों के साथ हैं, एक ही दल के आदमी हैं, इनको तो हमलोग अनुशासन के हिसाब से वहां रखे हुये हैं, जब चाहेंगे इधर ले आयेंगे । माननीय सदस्य श्री लालचन्द महतो ने जिन सवालों को उठाने का काम किया है, उसको हम दिखलवाने का काम करेंगे, उसको हमलोग पूरा करेंगे । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुरेश प्रसाद यादव ने जो दो लोगों की हत्या एक उमेश यादव की पुलिस कांड की हत्या की चर्चा की है, चान्दन थाना जिला बांका के संबंध में माननीय मुख्यंमत्री ने उसको अनुदान देने की घोषणा की थी, सरकार उसको अनुदान देगी चूंकि उनकी हत्या पुलिस थाना में हुई थी।

अध्यक्ष महोदय, आज इस परिप्रेक्ष्य में माननीय सदस्य से, सदन से और बिहार की जनता से अपील करना चाहता हूं कि श्री लालू प्रसाद के क्रांतिकारी हुकूमत को, विधि-व्यवस्था कायम रखने के लिये, साम्प्रदायिक सदभाव कायम करने के लिए, अमन-चैन बनाये रखने के लिये मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य श्रीमती वीणा शाही अभी सदन में नहीं है, यदि रहती तो मैं कटौती प्रस्ताव को वापस करने का आग्रह करता। अध्यक्ष महोदय, आज जनता दल के हुकूमत में पूरे राज्य में माईन्योरिटी के लोग अमन-चैन की सांस ले रहे है, वे सुरक्षित हैं, आज हरिजन-आदिवासी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आज से सीना तानकर अपनी बातों को अधिकारियों के सामने रखते

हैं, सरकार के सामने रखते हैं, थाना में जाकर अपनी बातों को लिखाते हैं, अपनी आवाजों को बुलन्द करते हैं ऐसी हुकूमत को, हम तमाम लागों से मदद की अपेक्षा रखता हूं। आज तरह के प्रचार किये जाते हैं, हमारे अपने खास समधी, बड़े भाई के आये और कहे कि रूपये लेकर दारोगा की बहाली हो रही है तो हमने कहा आप मूर्ख हैं, चले जाइये–हमारे दामाद छंट गये श्री लालू प्रसाद के रिलेशन के लोग छंट गये, रीटेन में इनका भगिना छंटे गये । माननीय मंत्री श्री रमई राम के रिलेशन का दामाद छंट गये। लोग कहते थे कि सिपाही के बहाली के दौड़ में बेईमानी हो रहा तो विडियोग्राफी कराया गया । एक भी उदाहरण नहीं है। दारोगा में और ऐसा कोई कंपलेन नहीं आया और पूरे राज्य में ईमानदारी और मुस्तैदी के साथ यह हो रहा है और लोगों में भ्रम फैला रहे है। चूंकि आरक्षण के साथ गरीबों को हक मिला है। इसलिए आज इनकी आलोचना हो रही है, उंगली उठाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और माननीय सदस्या श्रीमती वीणा शाही से अनुरोध है कि वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लें।

अध्यक्ष :क्या माननीय सदस्या श्रीमती वीणा शाही अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहती हैं ? माननीय सदस्या नहीं हैं । मैं कटौती प्रस्ताव पहले लेता हूं।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

"पुलिस और अन्य प्रशासनिक सेवायें" के सबंध में 32 मार्च 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 5,40,88,71,000 रुपये से अनाधिक राशि प्रदान की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

यह मांग स्वीकृत हुयी ।

संयुक्त समिति गठन करने संबंधी प्रस्ताव

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

श्री जार्ज फर्नाण्डीज एवं अन्य सांसदों के साथ दिनांक 16.7.94 को फकुली (मुजफ्फरपुर) में तथा श्री राम प्रसाद सिंह (कुशवाहा) के साथ दिनाक 18.7.94 को पटना के डाक बंगला चौराहे पर हुई घटना की सम्यक जांच एवं प्रतिवेंदन के लिए बिहार विधान–सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 232 के तहत संयुक्त समिति का गठन किया जाय और यह समिति 30 सितम्बर, 1994 तक अपना प्रतिवेदन दें दे।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

श्री जार्ज फर्नाण्डीज एवं अन्य सांसदों के साथ दिनांक 16.7.94 को फकुली (मुजफ्फरपुर) में तथा श्री राम प्रसाद सिंह (कुशवाहा) के साथ दिनांक 18.7.94 को पटना के डाक बंगला चौराहे पर हुई घटना की सम्यक जांच एवं प्रतिवेदन के लिए बिहार विधान–सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 232 के तहत संयुक्त समति का गठन किया और यह समिति 30 सितम्बर, 1994 तक अपना प्रतिवेदन दें दे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बिहार विधान परिषद् के सभापति से श्री जार्ज फर्नाण्डीज एवं अन्य सांसदों के साथ दिनांक 16.7.94 को फकुली (मुजफ्फरपुर) तथा श्री राम प्रसाद सिंह (कुशवाहा) के साथ दिनांक 18.7.94 को पटना के डाक बंगला चौराहे पर हुई घटना की सम्यक जांच एवं प्रतिवेदन के लिए बिहार विधान मंडल की संयुक्त समिति में सदस्य नियुक्ति हेतु दो सदस्यों का नाम मांगा जाय।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार विधान परिषद के सभापति से श्री जार्ज फर्नाण्डीज एवं अन्य सांसदों के साथ दिनांक 16.7.94 को फकुली (मुजफ्पुरपुर) तथा श्री राम प्रसाद सिंह (कुशवाहा) के साथ दिनांक 18.7.94 को पटना के डाक बंगला चौराहे पर हुई घटना की सम्यक जांच एवं प्रतिवेदन के लिए संयुक्त समिति में सदस्य नियुक्ति हेतु दो सदस्यों का नाम मांगा जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" श्री जार्ज फर्नाण्डीज एवं अन्य सांसदों के साथ दिनांक 16.7.94 को फकुली (मुजफ्फरपुर) तथा श्री राम प्रसाद सिंह (कुशवाहा) के साथ दिनांक 18.7.94 को पटना के डाक बंगला चौराहे पर हुई घटना की सम्यक जांच एवं प्रतिवेदन के लिए बिहार विधान मंडल की संयुक्त समिति के लिए माननीय सदस्यों के नाम का मनोनयन करें।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" श्री जार्ज फर्नाण्डीज एवं अन्य सांसदों के साथ दिनांक 16.7.94 को फकुली (मुजफ्फरपुर) तथा श्री रामप्रसाद सिंह (कुशवाहा) के साथ दिनांक 18.7.94 को पटना के डाक बंगला चौराहे पर हुई घटना की सम्यक जांच एवं प्रतिवेदन के लिए बिहार विधान मंडल की संयुक्त समिति के लिए माननीय सदस्यों के नाम का मनोनयन करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोषणा

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की दिनांक 19.7.94 को सदन की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में श्री जार्ज फर्नाण्डीज एवं अन्य सांसदों के साथ दिनांक 16.7.94 को फकुली (मुजफ्फरपुर) में तथा श्री राम प्रसाद सिंह (कुशवाहा) के साथ दिनांक 18.7.94 को पटना के डाक बंगला चौराहे पर हुई घटना के सम्यक जांच हेतु बिहार विधान मंडल की संयुक्त समिति में निम्नलिखित माननीय सभासदों को मनानीत करता हूं :

1. श्री कमल पासवान, स० वि० स०
2. श्री अवध बिहरी चौधरी, स० वि० स०
3. श्री टीका राम मांझी, स० वि० स०
4. श्री अजित सरकार, स० वि० स०
5. श्री महेन्द्र झा आजाद, स० वि० स०
6. श्री डा० मदन प्रसाद जायसवाल, स० वि० स०
7. श्री डा० सबा अहमद, स० वि० स०

श्री कमल पासवान, स० वि० स० इस संयुक्त समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। यह समिति 30 सितम्बर, 1994 तक अपना प्रतिवेदन दें दे।

माननीय सभापति से माननीय पार्षदों का नाम प्राप्त होने पर अधिसूचित किया जायेगा।

याचिकाओं का उपस्थापन

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा का प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के निमय 267 के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्य अपने नाम के सामने अंकित स्वीकृत याचिका सदन में उपस्थापित करेंगे।

क्रमांक	सदस्य का नाम	स्वीकृत याचिकाओं की संख्या
1.	श्री सुशील कुमार सिंह, स० वि० स०	3
2.	श्री मदन मोहन झा, स० वि० स०	3
3.	श्री दशरथ कुमार सिंह, स० वि० स	5
4.	श्री शहिद अली खां, स० वि० स०	1
5.	श्री सुमृत मंडल, स० वि० स०	1
6.	श्री हरिहर नारायण प्रभाकर, स० वि० स०	2
	कुल	15

ये सारी याचिकायें सभा की सहमति से उपस्थापित समझी जाय।

दिनांक 19.7.94 के लिए कुल स्वीकृत निवेदनों की संख्या 14 है सदन की सहमति हो तो संबंधित विभागों में भेज दिये जायेंगे।

सदस्यगण : भेज दिये जाये।

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक बुधवार दिनांक 20.7.94 के 10 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की जाती है।

पटना
तिथि 19 जुलाई, 1994 ई०

युगल किशोर सिंह
सचिव
बिहार विधान-सभा

मंगलवार, तिथि 19 जुलाई, 1994 ई०

दैनिक निबंध

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण सूचनायें एवं उन पर सरकारी वक्तव्य :

(1) ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित माननीय सदस्य, श्री जीतवाहन बैड़ाईक एवं श्री रमेश उरांव, स० व० स० की गुमला जिलान्तर्गत चैनपुर एवं डुमरी प्रखंड के बीच शंख नदी पर पुल निर्माण करने से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना पर प्रभारी मंत्री, श्री विनायक प्रसाद यादव द्वारा सरकर की ओर से वक्तव्य दिया गया।

(2) उद्योग विभाग से संबंधित माननीय सदस्य श्री खगेन्द्र प्रसाद एवं अन्य पांच सभासदों की कोडरता जिलान्तर्गत जयनगर प्रखंड में स्थित मगध स्पन पाईप फैक्ट्री एवं ताला फैक्ट्री के मजदूरों को वेतन भुगतान कर उत्पादन प्रारंभ कराये जाने विषयक ध्यानाकर्षण सूचना पर प्रभारी मंत्री, श्री महावीर प्रसाद द्वारा सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत ध्यानाकर्षण सूचना के पूरक प्रश्नोत्तरों में चर्चित प्रश्नों की जांच कराकर जांच प्रतिवेदन चलते सत्र में ही प्रस्तुत करने हेतु माननीय मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया ।

(3) जल संसाधन विभाग संबंधित माननीय सदस्य, श्री चन्द्र मोहन राय एवं अन्य तीन सभासदों की सिंचाई कर (पनवट) वसूलने की वर्तमान पद्धति के बदले पुरानी पद्धति को फिर से लागू करने से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना पर प्रभारी राज्यमंत्री श्री जय प्रकाश नारायण यादव, द्वारा सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया।

(4) माननीय सदस्य, श्री सुरेन्द्र प्रसाद राय, एवं अन्य पांच सभासदों की खनन एवं भूतत्व विभाग से संबधित बिहार के कोयला खनन क्षेत्रों में बंद पड़े कोयला खादानों को चालू कराने एवं इन्हें प्रभावकारी ढंग से नियमित करने हेतु बिहार सरकार को एक अलग 'कोयला

खनन प्राधिकार' अथवा 'बिहार कोल कम्पनी' की स्थापना की आवश्यकता विषयक ध्यानाकर्षण–सूचना पर प्रभारी मंत्री, श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल द्वारा सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया।

(5) माननीय सदस्य, श्री प्रभुनाथ सिंह एवं अन्य 10 सभासदों की छपरा–सह मशरक में चौबीस वर्षों से पदस्थापित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, श्री रामसेवक सिंह पर प्रमाणित आरोपों के बावजूद सरकारी कार्रवाई में शिथिलता बरते जाने से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री, श्री रघुनाथ झा द्वारा सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया।

उल्लेखनीय है कि पूरक प्रश्नोत्तरों के आलोक में अध्यक्ष महोदय ने सरकार को निदेश दिया कि संबंधित संचिका उन्हें उपलब्ध करायी जा जिसे देखकर वे समुचित आदेश दे सकेंगे ।

माननीय सदस्य, श्री प्रभुनाथ सिंह ने सरकार पर टाल–मटोल की नीति का आरोप लगाते हुये अध्यक्ष महोदय से आज ही संबंधित संचिका मांगने हेतु अनुरोध किया एवं इस क्रम में अपनी बात पर दबाव देने के उद्देश्य से माननीय सदस्य, श्री प्रभुनाथ सिंह, सदन के 'वेल' में धरना पर बैठ गये ।

माननीय मुख्यमंत्री ने श्री प्रभुनाथ सिंह स० वि० स० से अपना स्थान ग्रहण करने हेतु आग्रह करते हुये कहा कि सरकार संबंधित संचिका अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ आज ही उपलब्ध करा देगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित पदाधिकारी का स्थानान्तरण आज ही कर दिया जायेगा।

विविध चर्चायें :

उपर्युक्त ध्यानाकर्षण सूचना के पूरक प्रश्नोत्तरों के क्रम में माननीय नेता, विरोधी दल, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुये कहा कि सदन में सरकार ने पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार के मामले में संबंधित पदाधिकारियों के स्थानान्तरण का आश्वासन दिया था। लेकिन सरकार ने उन्हें स्थानान्तरण नहीं दिया ।

माननीय मख्यमंत्री ने तत्क्षण जवाब दिया कि आज ही संबंधित दोनों पदाधिकारियों को लाईन हाजिर कर दिया जायेगा।

इस पर प्रतिपक्ष के नेताओं में तीव्र प्रतिक्रिया हुई एवं वे समवेत स्वरों में भिन्न–भिन्न बातों को रखने लगे। इससे सदन में शोर–गुल का माहौल व्याप्त हो गया।

विविध चर्चायें :

प्रश्नोत्तर काल समाप्त होते ही कतिपय माननीय सदस्यों ने आज के स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबरों के हवाल से भिन्न–भिन्न विषयों की चर्चा करते हुये सरकार से वक्तव्य की मांग की एवं इस क्रम में वे सदन के 'वेल' में भी आ गये।

अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों से शांति की अपील करते हुये उन्हें अपने स्थान से अपनी बातों को रखने का सुझाव दिया।

माननीय मुख्यमंत्री ने प्रथमतः झ० मु० मो० (सोरेन गुट) के सदस्यों द्वारा उठायी गई स्वर्ण रेखा परियोजना में आयी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना पर बोलते हुये बाढ़ राहत कार्य के अनतर्गत सरकार द्वारा की गयी कार्रवाईयों से सदन को अवगत कराया।

तदुपरान्त माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय मंत्री, श्रीमती सुधा श्रीवास्तव द्वारा मंत्रिमंडल से त्याग–पत्र दिये जाने की पुष्टि करते हुये कहा कि माननीय मंत्री का त्याग–पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसे तत्क्षण स्वीकृति हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय के पास भेज दिया गया है।

माननीय नेता विरोधी दल, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने सरकार के कथित फासिस्ट रवैये के आधार पर माननीय मंत्री द्वारा इस्तीफा दिये जाने की बात करते हुये सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की।

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित माननीय मंत्री अगर चाहे तो स्वयं सदन में आकर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर सकती हैं।

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित माननीय मंत्री अगर चाहे तो स्वयं सदन में आकर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर सकती है।

माननीय नेता, विरोधी दल, श्री रामश्रय प्रसाद सिंह के साथ सर्वश्री दशरथ कुमार सिंह, अवधेश कुमार सिंह, प्रभुनाथ सिंह, विजय कुमार

चौधरी, लालमुनि चौबे आदि सभासदों द्वारा समस्तीपुर के ताजपुर बाजार में घटित घटना को उठाते हुये सरकार की कानून व्यवस्था पर ढीली पकड़ का अरोप लगाया एवं सरकार से इस घटना पर वक्तव्य की मांग की। माननीय मुख्यमंत्री ने कल्ह की इस घटना के संबंध में विस्तृत विवरण देते हुये कहा कि स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर कल्ह वे ताजपुर गये थे।

माननीय मुख्यमंत्री ने संबंधित घटना के बारे में प्राप्त सूचनाओं का ब्यौरा देते हुए कहा कि वहां की स्थिति पर प्रशासन की पूरी पकड़ है। सभी वरीय पदाधिकारियों को वहां तैनात किया गया है एवं उन्हें शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु सख्त हिदायत की गई है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को एक–एक लाख रुपये मुआवजा एवं एक–एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की।

इसके बाद भा० ज० पा० नेता, श्री लालमुनि चौबे ने समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर माननीय मंत्री श्री करम चन्द भगत द्वारा प्रोजेक्ट विद्यालय के शिक्षकों के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किये जाने के लिये सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की।

संसदय कार्य मंत्री, श्री रघुनाथ झा ने इस आरोप का जोरदार ढंग से खण्डन किया।

माननीय मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का दिया जाना :

माननीय मंत्री, श्री करमचन्द भगत ने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण पर खड़े होकर उन पर लगे आरोपों से संबंधित स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबरों का खण्डन करते हुये इसे बेबुनियाद एवं गलत बताया। उन्होंने रांची परिसदन में उनके साथ घटित घटना का विस्तृत विवरण देते हुये किसी भी शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की बात को गलत बताया।

शून्यकाल :

शून्यकाल की चर्चा के अन्तर्गत सर्वश्री अम्बिका प्रसाद, रघुनाथ प्रसाद सोडानी बालिक राम, सुशील कुमार मोदी, श्रीमती ज्योति एवं श्री दशरथ कुमार सिंह, सभासदों ने लोक महत्व की विभिन्न विषयों की

चर्चा करते हुये उनके समुचित निदान हेतु सरकार से मांग की ।

संयुक्त सदन की समिति के गठन हेतु प्रस्ताव :

संसदीय कार्यमंत्री, श्री रघुनाथ झा ने सांसद, श्री जार्ज फर्णाण्डीस एवं श्री राम प्रसाद कुशवाहा पर हुये हमला प्रकरण की जांच हेतु एक संयुक्त सदन की समिति के गठन का प्रस्ताव रखा।

माननीय सदस्य, श्री राजो सिंह ने आपति प्रकट करते हुये कहा कि जब अध्यक्ष महोदय ने इस मामले की जांच हेतु सदन की संयुक्त समति बनाने का आश्वासन दिया है तो फिर सरकार की तरफ से इस संबंध में प्रस्ताव लाने का क्या औचित्य है ?

माननीय सदस्य, श्री कुमुद रंजन झा ने बिहार विधान–सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचलन नियमावली के नियम–232 को उद्धृत करते हुये सरकार की तरफ से लाये गये प्रस्ताव को अनुचित ठहराया किन्तु अध्यक्ष महोदय ने–232 के आलोक में ही सरकार प्रस्ताव को जायज ठहराया।

माननीय नेता, विरोधी दल ने पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार के मामले पर गठित संयुक्त सदन की समिति के गठन की प्रक्रिया के आलोक में इस समिति के गठन की प्रक्रिया को अपनाने का माननीय अध्यक्ष महोदय को सुझाव दिया ।

वित्तीय कार्य : वर्ष 1994–95 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर मतदान: 'पुलिस और अन्य प्रशासनिक सेवायें'

संसदीय कार्यमंत्री, श्री रघुनाथ झा ने 'पुलिस और अन्य प्रशासनिक सेवायें' के संबंध में मांग पेश की ।

इस मांग के अन्तर्गत माननीय सदस्या, श्रीमती वीणा शाही ने राज्य सरकार की पुलिस और अन्य प्रशासनिक सेवायें नीति पर विचार विमर्श करने के लिए कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं इस क्रम में संक्षिप्त भाषण भी किया ।

उपर्युक्त मांग एवं इसके अन्तर्गत प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर वाद–विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1. श्री ज्ञानेश्वर यादव

2. श्री गुलशन लाल आजमानी

माननीय सदस्य द्वारा सदन में सूचना का दिया जाना :

माननीय सदस्या, श्रीमती गायत्री देवी ने राष्ट्रीय छात्र संघ के जुलूस पर नवादा में पुलिस द्वारा फायरिंग में हुई श्री मुमताज आलम की मृत्यु की सूचना सदन मे देते हुए वहां उत्पन्न जातीय तनाव की स्थिति की चर्चा की और सरकार से जांच कर दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। नेता, विरोधी दल, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने भी इसका समर्थन करते हुए सदन में बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाले इंस्पेक्टर श्री राम सागर वही है जिन्होंने माननीय सदस्य श्री आदित्य सिंह की गाड़ी को कुचल दिया था। माननीय नेता, विरोधी दल ने सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

माननीय मुख्यमंत्री ने उपर्युक्त घटना पर प्रकाश डाला और माननीय सदस्या के आग्रह पर उक्त घटना की जांच डी० जी० पी० से करा देने का आश्वासन दिया।

वित्तीय कार्य : वर्ष 1994–95 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर मतदान : 'पुलिस और अन्य प्रशासनिक सेवायें'

मद संख्या–8 के अन्तर्गत जारी वाद–विवाद पुनः प्रारम्भ हुआ जिसमें निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :

3. श्री रमेन्द्र कुमार

(इस अवसर पर सभापति, श्री इन्दर सिंह नामधारी ने आसन ग्रहण किया।)

4. श्री प्रशांत कुमार
5. श्री प्रभुनाथ सिंह
6. श्री ओ० पी० लाल
7. श्री रवीन्द्र चरण यादव
8. श्री अजित सरकार
9. श्री लालचन्द महतो
10. श्री वेणी प्रसाद गुप्ता
11. श्री राजीव प्रताप सिंह
12. श्री सुरेश प्रसाद यादव
13. श्री वृजमोहन सिंह

14. श्री रामाशरण यादव 15. श्री योगेश्वर गोप

16. श्री गुरूदास चटर्जी

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

संसदीय कार्य मंत्री, श्री रघुनाथ झा के सरकारी उत्तरोपरांत माननीय सदस्या, श्रीमती वीणा शाही द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत एवं 'पुलिस एवं प्रशासनिक सेवायें' संबंधी मांग सभा द्वारा स्वीकृत हुई ।

उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग से संबंधित बजट पर माननीय मुख्यमंत्री के बदले संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी उत्तर दिये जाने पर घोर आपत्ति प्रकट करते हुए नेता, विरोधी दल ने अपने दल के माननीय सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।

साथ ही सरकारी उत्तर पर असंतोष प्रकट करते हुए क्रमशः माननीय सदस्य श्री दशरथ कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा (सोरेन गुट) के माननीय सदस्यों ने बारी-बारी से सदन का त्याग किया।

संयुक्त सदन की समिति के गठन हेतु प्रस्ताव :

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री रघुनाथ झा ने प्रस्ताव किया कि श्री जार्ज फर्नाण्डीस एवं अन्य सांसदों के साथ दिनांक 16.7.94 को फकली (मुजफ्फरपुर) में तथा डाक बंगला चौराहे पर हुई घटना की सम्यक जांच एवं प्रतिवेदन के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-232 के तहत संयुक्त समिति का गठन किया जाय और यह समिति 30 सितम्बर, 1994 तक अपना प्रतिवेदन दें दे ।

उक्त प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि 'बिहार विधान परिषद के सभापति से श्री जार्ज फर्णाण्डीस एवं अन्य सांसदों के साथ दिनांक 16.7.94 को फकुली (मुजफ्फरपुर) तथा श्री राम प्रसाद सिंह (कुशवाहा) के साथ दिनांक 18.7.94 को पटना के डाक बंगला चौराहे पर हुई घटना की सम्यक जांच एवं प्रतिवेदन के लिए बिहार विधान मंडल की संयुक्त समिति में सदस्य नियुक्ति हेतु सदस्यों के नाम

मांगा जाय।'

उक्त प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

इसी क्रम में माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री रघुनाथ झा ने यह भी प्रस्ताव किया कि ' अध्यक्ष महोदय श्री जार्ज फर्णाण्डीज एवं अन्य सांसदों के साथ दिनांक 16.7.94 को फकुली (मुजफ्फरपुर) तथा श्री राम प्रसाद सिंह (कुशवाहा) के साथ दिनांक 18.7.94 को पटना के डाकबंगला चौराहे पर हुई घटना की सम्यक जांच एवं प्रतिवेदन के लिए बिहार विधान मंडल की संयुक्त समिति के लिए माननीय सदस्यों के नाम का मनोनयन करे।"

उक्त प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

अध्यक्षीय घोषणा :

अध्यक्ष महोदय ने सदन में घोषणा की कि वे बिहार विधान सभा की दिनांक 19.7.94 की सदन की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में श्री जार्ज फर्णाण्डीस एवं अन्य सांसदों के साथ दिनांक 16.7.94 को फकुली (मुजफ्फरपुर) में तथा श्री राम प्रसाद सिंह (कुशवाहा) के साथ दिनांक 18.7.94 को पटना के डाक बंगला चौराहे पर हुई घटना की सम्यक जांच हेतु बिहार विधान मंडल की संयुक्त समिति में निम्नलिखित माननीय सभासदों को मनानीत करते हैं :

1. श्री कमल पासवान, स० वि० स०
2. श्री अवध बिहारी चौधरी, स० वि० स०
3. श्री टीकाराम मांझी, स० वि० स०
4. श्री अजित सरकार, स० वि० स०
5. श्री महेन्द्र झा आजाद, स० वि० स०
6. श्री (डा०) मदन प्रसाद जायसवाल, स० वि० स०
7. श्री (डा०) सदा अहमद, स० वि० स०

अध्यक्ष महोदय ने यह भी घोषणा की कि श्री कमल पासवान, स० वि० स० इस संयुक्त समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे एवं यह समिति 30 सितम्बर, 1994 तक अपना प्रतिवेदन देगी।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद से माननीय पार्षदों के नाम प्राप्त होने पर अधिसूचित किया जायेगा।

याचिकाओं पर उपस्थापन :

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में गठित निम्न माननीय सदस्यों की उनके नाम के सामने अंकित स्वीकृत याचिकाओं सभा की सहमति से उपस्थापित समझी गयी :

क्रमांक	माननीय सदस्य का नाम	स्वीकृत याचिकाओं की संख्या
1.	श्री सुशील कुमार सिंह	3
2.	श्री मदन मोहन झा	3
3.	श्री दशरथ कुमार सिंह	5
4.	श्री शाहिद अली खान	1
5.	श्री सुमृत मंडल	1
6.	श्री हरिहर नारायण प्रभाकर	2
	कुल :	15 याचिकायें ।

निवेदन :

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज के लिए स्वीकृत कुल 14 निवेदनों को सदन की सहमति से आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया जायेगा।

तदुपरांत सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 1994 ई० के 10.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गयी ।

✧★✧

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 एवं 296 के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय के कार्यवाही शाखा द्वारा प्रकाशित एवं प्रभा इंटरप्राईजेज; खजांची रोड; पटना-4 द्वारा मुद्रित ।